FORM -IV

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकरणों द्वारा भेजे प्रस्तावों को धारा 2 के अंतर्गत पूर्व मंजूरी लेने प्रारूप

1	**परियोजना ब्यौरेः –**	
i.	उन प्रस्तावों तथा पारियोजना/स्कीम का संक्षिप्त वर्णन जिसके लिये वनभूमि अपेक्षित है	महाप्रबंधक टेलीसोनिक नेटवर्क्स प्रायवेट लिमिटेड इंदौर, छत्तीसगढ़ द्वारा कवर्धा वनमंडल के परिक्षेत्र कवर्धा अंतर्गत बंजारी से बोड़ला तक मुख्य सड़क के समानांतर 10.720 कि.मी. 4जी ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु 0.536 हे. प्रस्तावित है। जिसमे कवर्धा वनमंडल के परिक्षेत्र कवर्धा अंतर्गत आरक्षित वनभूमि रकबा 0.346 हे., संरक्षित वनभूमि रकबा 0.190 हे. तथा राजस्व वनभूमि रकबा 0.000 हे. कुल रकबा 0.536 हेक्टर आवश्यक है।
ii.	अपेक्षित वन क्षेत्र का मदवार ब्यौरा (ऐसे अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जाना है ,जो उप वन संरक्षक की श्रेणी से कम श्रेणी का अधिकारी नही हो) –	आरक्षित वनभूमि – 0.346 संरक्षित वनभूमि – 0.190 राजस्व वनभूमि – निरंक ऑरेज एरिया – निरंक **कुल रकबा योग :– 0.536 हेक्टर**
iii.	परियोजना की कुल लागत–	27 लाख
iv.	परियोजना को वनक्षेत्र में लगाने का औचित्य ,तथा इसके लिये वैकल्पिक स्थानो की जॉच की गई उनको दर्शाते हुऐ और नामंजूर करने के कारण बताएं जाये –	कबीरधाम जिले के कवर्धा वनमंडल के परिक्षेत्र कवर्धा अंतर्गत बंजारी से बोड़ला तक मुख्य सड़क के समानांतर 10.720 कि.मी. के किनारे राईट ऑफ–वे (Row) अंतर्गत 4जी ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु मांग की जा रही वनभूमि सड़क राईट– ऑफ–वे के अंतर्गत पूर्व से ही व्यपवर्तित भूमि है, जिसमें पृथक से वनभूमि की आवश्यकता नहीं होगी तथा किसी भी प्रकार से वृक्षों की कटाई अथवा वन सम्पदा को हानि नहीं होगी। अन्य वैकल्पिक स्थल पर यह कार्य किए जाने से अतिरिक्त वनभूमि व्यपवर्तन की आवश्यकता होगी।
v.	वित्तीय तथा सामाजिक लाभ –	कबीरधाम जिला के निकटवर्ती क्षेत्र घने वन एवं पहाड़ियों से आच्छादित है तथा खनिज संपदा से संपन्न है। इन क्षेत्रो में 4जी ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने से लोगो के जीवन शैली में सुधार होगा तथा शासकीय राजस्व में भी वृद्धि होगी।
vi.	कुल लाभान्वित होने वाली आबादी –	कबीरधाम जिला के अंतर्गत बंजारी से बोड़ला के आसपास ग्रामवासी
vii.	सृजित रोजगार –	आवश्यकतानुसार ।
2	**परियोजना स्कीम का स्थान :–**	
i.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश –	छत्तीसगढ़
ii.	जिला –	कबीरधाम
iii.	वन प्रभाग, वनखण्ड, कम्पार्टमेन्ट –	संलग्न है।
3	**मौजूदा भूमि उपयोग सहित परियोजना /स्कीम के लिए कुल अपेक्षित भूमि का मदवार ब्यौरा–**	आरक्षित वनभूमि – 0.346 संरक्षित वनभूमि – 0.190 राजस्व वनभूमि – निरंक ऑरेज एरिया – निरंक **कुल रकबा – 0.536 हेक्टर**

4	**शामिल वनभूमि का ब्यौरा–**	
i.	वन की वैधानिक स्थिति (नामतःआरक्षित/संरक्षित/अवर्गीकृत आदि)–	आरक्षित वनभूमि – 0.346 संरक्षित वनभूमि – 0.190 राजस्व वनभूमि – निरंक ऑरेज एरिया – निरंक **कुल रकबा – 0.536 हेक्टर**
ii.	क्षेत्र में मौजूद वनस्पति और प्राणीजगत का ब्यौरा –	लागु नही है।
iii.	वनस्पति की संघनता –	0.5
iv.	वृक्षों की प्रजातिवार तथा श्रेणीवार सार –	आवश्यक नहीं है।
v.	भूमि कटाव के लिए वनक्षेत्र का महत्व क्या यह गंभीर रुप से क्षरित क्षेत्र का हिस्सा (भाग) है अथवा नही–	आवश्यक नहीं है।
vi.	क्या यह राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य प्रकृति आरक्षित जीव मंडल, रिजर्व आदि का एक हिस्सा (भाग) है, यदि हॉ तो इसमें शामिल क्षेत्र का ब्यौरा दें। (मुख्य वन जीव अभिरक्षण की विशिष्ट टिप्पणीयों को सलंग्न करें)	कवर्धा वनमंडल के परिक्षेत्र कवर्धा अंतर्गत बंजारी से बोड़ला तक मुख्य सड़क के समानांतर 10.720 कि.मी. 4जी ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु परिक्षेत्र कवर्धा का हिस्सा है, ब्यौरा निम्नानुसार है :– आरक्षित वनभूमि – 0.346 संरक्षित वनभूमि – 0.190 राजस्व वनभूमि – निरंक ऑरेज एरिया – निरंक **कुल रकबा – 0.536 हेक्टर**
vii.	विभिन्न प्रयोजनों के लिए परियोजना स्कीम के लिए अपेक्षित वनभूमि का मदवार ब्यौरा–	ओ.एफ.सी. केबल को भूमिगत बिछाना है। 0.536 हेक्टर भूमि का उपयोग की जानी है। आरक्षित वनभूमि – 0.346 संरक्षित वनभूमि – 0.190 राजस्व वनभूमि – निरंक ऑरेज एरिया – निरंक **कुल रकबा – 0.536 हेक्टर**
viii.	क्षेत्र में पाये जाने वाली दुलर्भ/संकट ग्रस्त वनस्पतियों व प्राणियों की प्रजातियां–	नही है।
ix.	क्या यह प्रवासी जीव जन्तु के लिए एक वास स्थल है, या उसके लिए प्रजनन भूमि का एक भाग है ?	नही है।
x.	प्रस्तावित क्षेत्र अन्य किसी महत्वपूर्ण क्षेत्र का हिस्सा है ?	नही है।
5	**परियोजना के कारण विस्थापित व्यक्तियों का ब्यौरा**	
i.	विस्थापित होने वाले परिवारों की कुल संख्या	निरंक
ii.	विस्थापित होने वाले परिवारों की कुल संख्या	निरंक
iii.	विस्थापित होने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों की संख्या–	निरंक
iv.	विस्तृत पुनर्वास योजना–	निरंक
6	**क्षतिपूरक वन स्कीम के ब्यौरा–**	
i.	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए पहचान किये गये गैर वनक्षेत्र, अवक्रमित वनक्षेत्र का ब्यौरा, निकटवर्ती वनों से इसकी दूरी हिस्से की संख्या प्रत्येक हिस्सो का आकर।	आवश्यक नही है।

ii.	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए पहचान किय गये गैर वनक्षेत्र अवक्रमित वनक्षेत्र तथा निकटवर्ती वन सीमाओं का दर्शाने वाला मानचित्र	आवश्यक नही है।
iii.	रोपण की जाने वाली प्रजातियो क्रियान्वयन एजेंसी समय सूची ढॉचा आदि सहित विस्तृत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण स्कीम	निरंक
iv.	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण स्कीम के लिये कुल वित्तीय लागत	निरंक
v.	वृक्षारोपण के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु पहचान किये गये क्षेत्र कि उपर्युक्ता के बारे में और प्रबंध की दृष्टि में सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण–पत्र (किसी ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाये जो की उप वन संरक्षक की श्रेणी के नीचे की श्रेणी का अधिकारी न हो)	निरंक
vi.	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिये वनेत्तर भूमि उपलब्ध न होने के बारे में मुख्य सचिव से प्रमाण पत्र	निरंक
vii.	पारेषण लाइनों के बारे में ब्यौरे केवल परिषण लाइनों के प्रस्तावों के लिये	निरंक
	a. परिषण लाइन की कुल लम्बाई	निरंक
	b. वनक्षेत्र के होकर गुजरने वाली लाईन की लम्बाई	निरंक
	c. मार्ग का अधिकार	निरंक
	d. निर्मित किये जाने वाले टॉवरों की संख्या	निरंक
	e. वनक्षेत्र में निर्मित किये जाने वाले टॉवरों की संख्या	निरंक
	f. पारेषण टॉवरो की ऊंचाई	निरंक
7	**सिंचाई/वन विद्युत परियोजनाओं के (केवल सिंचाई वन विद्युत परियोजनाओं के लिए –**	आवश्यक नही है।
i.	कुल कैचमेंट क्षेत्र	निरंक
ii.	कुल कमाण्ड क्षेत्र	निरंक
iii.	कुल जलाशय स्तर	निरंक
iv.	उच्च बाढ स्तर	निरंक
v.	न्यूनतम प्राप्ति स्तर–	निरंक
vi.	परियोजना के कैचमेंट क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र का ब्यौरा (वनभूमि, कृषि की गई भूमि, चारागाह भूमि, मानव आबादी तथा अन्य)–	निरंक
vii.	उच्च बाढ स्तर पर जलमग्न क्षेत्र	निरंक
viii.	पूर्ण जलाशय स्थल पर जलमग्न क्षेत्र	निरंक
ix.	पूर्ण जलाशय का स्तर से 2 मीटर नीचे जलमग्न क्षेत्र	निरंक
x.	पूर्ण जलाशय का स्तर से 4 मीटर नीचे जलमग्न क्षेत्र (केवल मझोली व बड़े परियोजनाओं के लिए)	निरंक
xi.	न्यूनतम निकासी स्तर से जलमग्न क्षेत्र	निरंक

xii.	विस्तृत आवाह क्षेत्र सुधार योजना–	निरंक
xiii.	कुल वित्तीय परिव्यय क्षेत्र सुधार योजना के लिए निधियों की उपलब्धता के बारे में–	निरंक
8	**सड़क/रेल लाईनों के बारे में ब्यौरे–**	आवश्यक नही है।
9	**केवल सड़क/लाईनों के प्रस्तावों के लिए–**	आवश्यक नही है।
i.	पट्टी की अपेक्षित लम्बाई ,चौड़ाई और वनक्षेत्र	निरंक
ii.	सड़क की कुल लम्बाई–	निरंक
iii.	पहले बनाई जा चूंकि सड़क की कुल लम्बाई–	निरंक
10	**खनन प्रस्तावों के बारे में ब्यौरे (केवल खनन प्रस्तावों के लिए)**	आवश्यक नही है।
i.	कुल खनन पट्टा क्षेत्र और आवश्यक वनक्षेत्र	आवश्यक नही है।
ii.	प्रस्तावित खनन पट्टे की अवधि –	आवश्यक नही है।
iii.	वनक्षेत्र और गैर वनक्षेत्र में प्रत्येक खनिज/कच्चे धातु का अनुमानित भण्डार	आवश्यक नही है।
iv.	खनिज/कच्चे धातु का वार्षिक अनुमानित उत्पादन–	आवश्यक नही है।
v.	खनन कार्यो की किस्म (खुली खदान/भूमिगत)	आवश्यक नही है।
vi.	चरणबद्ध सुधार योजना –	आवश्यक नही है।
vii.	जिस क्षेत्र में खनन कार्य किया जायेगा उसका प्लान–	आवश्यक नही है।
viii.	पट्टा संलेख की प्रति संलग्न की जायें–	आवश्यक नही है।
ix.	नियुक्त की जाने वाली श्रमिकों की संख्या–	आवश्यक नही है।
x.	निम्नलिखित के लिये अपेक्षित वनभूमि का क्षेत्रफल–	आवश्यक नही है।
	a. खनन–	आवश्यक नही है।
	b.खनिज/कच्चे धातु का भण्डारण–	आवश्यक नही है।
	c.अधिभार को जमा करना–	आवश्यक नही है।
	d.औजारों एवं मशीनों का भण्डारण–	आवश्यक नही है।
	e.भवनों, बिजलीघरों, कार्यशालाओं आदि का निर्माण	आवश्यक नही है।
	f. शहर, आवास, कॉलोनियां–	आवश्यक नही है।
	g. सड़क/रेल्वे मार्ग/राज्य मार्ग का निर्माण–	आवश्यक नही है।
	h. अपेक्षित वनक्षेत्र की पूर्ण भूमि उपयोग योजना	आवश्यक नही है।
xi.	परियोजना के तहत ऊपर (क) से (ज) तक उल्लेखित जिन गतिविधियों के लिये वनभूमि की मांग की गई है, उनका वनक्षेत्र से बाहर शुरू/स्थापित न किये जाने के क्या कारण है–	आवश्यक नही है।
xii.	खनन और सम्बन्धित गतिविधियों के परिणाम स्वरूप होने वाली सम्भावित क्षति और प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या–	आवश्यक नही है।
xiii.	बारहमासी नदियों के मार्गो राष्ट्रीय राजमार्गो, राष्ट्रीय उद्यानों, अभ्यारण्यों और जीव मंडल रिजर्वो के खनन की दूरी–	आवश्यक नही है।

xiv.	पुनः प्रयोग के लिये ऊपरी सतह मिट्टी (ऊपरी मृदा) के भण्डार की प्रक्रिया	आवश्यक नही है।
xv.	भूमिगत खनन कार्यों में अपेक्षित अवतलन की मात्रा और जल, वन तथा अन्य वनस्पतियों पर उसका प्रभाव	आवश्यक नही है।
11	लागत लाभ विश्लेषण–	
12	क्या पर्यावरण स्वीकृति/अपेक्षित है (हां/नहीं) यदि हां तो क्या उसके अपेक्षित ब्यौरे प्रस्तुत कर दिये गए है (हां/नहीं)	आवश्यक नही है।
13	क्या अधिनियम का उल्लंघन करते हुये कोई कार्य किया गया है,(हां/नहीं) यदि हां तो –	आवश्यक नही है।
i.	शुरू होने की तारीख सहित उसके ब्यौरे–	आवश्यक नही है।
ii.	अधिनियम के उल्लंघन के लिये जिम्मेदार अधिकारी–	आवश्यक नही है।
iii.	गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ की गई/की जा रही कार्यवाही–	आवश्यक नही है।
iv.	क्या अभी भी अधिनियमों का उल्लंघन करते हुए कार्य किया जा रहा है–	आवश्यक नही है।
14	कोई अन्य सूचना–	आवश्यक नही है।
15	संलग्न किये गये प्रमाण पत्रो/दस्तावेजों के ब्यौरे–	चेक लिस्ट अनुसार सभी दस्तावेज संलग्न है।
16	निम्नलिखित पहलुओं के बारे में संबंधित मुख्य वन संरक्षक वन विभाग के अध्यक्ष के विस्तृत विचार अर्थात–	कवर्धा डिवीज़न बंजारी से बोड़ला तक मुख्य सड़क के समानांतर 4जी ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने से ग्रामीण आबादी के जलाऊ लकड़ी आपूर्ति तथा आदिवासियो और पिछड़े समुदायो के जीविकोपार्जन में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा.
i.	इसमें सम्मिलित वन भूमि से इमारती लकड़ी, जलाने की लकड़ी, और अन्य वन उत्पाद–	इस प्रकरण में लागू नही है।
ii.	क्या जिला इमारती लकड़ी और जलाने की लकड़ी में आत्म निर्भर है	इस प्रकरण में लागू नही है।
iii.	निम्नलिखित प्रस्ताव के प्रभाव–	
a	ग्रामीण आबादी के लिये जलाने की लकड़ी की आपूर्ति	ग्रामीण आबादी के लिये जलाने की लकड़ी की आपूर्ति कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा
b	आदिवासियों और पिछड़े समुदायों की अर्थव्यवस्था और जीविका	संचार के साधन बढ़ने से आदिवासियों और पिछड़े समुदायों की अर्थव्यवस्था और जीविका में उत्तरोतर वृद्धि होगी
iv.	कारणों सहित प्रस्ताव को स्वीकार करने या न करने के लिये मुख्य वन संरक्षक वन विभाग की विशिष्ट टिप्पणी	आवश्यक नहीं है।

प्रमाणित किया जाता है की उपरोक्तानुसार दी गई समस्त जानकारी मेरी जानकारी के अनुसार सही है तथा आवश्यक वनभूमि की माँग न्यूनतम है।

(देवेंद्र अरोरा)
टेलीसोनिक नेटवर्क्स प्रायवेट लिमिटेड
इंदौर (मध्य प्रदेश)

वनमंडलाधिकारी
कवर्धा वनमंडल कवर्धा
जिला–कबीरधाम (छ0ग0)